न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
69/2015	28.05.2015	06.03.2020

उनवांन

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी भीखावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: वादी

बनाम

1. सूरजभान पुत्र लखमी (मृतक)
   1/1 सुरेश पुत्र सूरजभान
   1/2 सीताराम पुत्र सूरजभान जातियान अहीर निवासीयान झरझिला तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर, राज0
   1/3 सुनिता पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी दोलतपुरा तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर, राज0
2. सत्यपाल (मृतक)
   2/1 कृष्ण कुमार पुत्र
   2/2 मुनेश देवी पत्नी
   2/3 पवित्रा
   2/4 रोशनी पुत्रियान सत्यपाल
3. मोहरसिंह पुत्रान बहराम जातियान अहीर निवासीयान भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. उपपंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादीगण

6. सुमेर पुत्र खेमचन्द जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

–:तरतीबी प्रतिवादी

दावा:– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 06.03.2020

आज यह पत्रावली सुनाई जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 75/0.09 है0 वाके ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर जिला

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

अलवर राजस्थान में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 भाग कब्जेकाश्त की खातेदारी आराजी थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने विनिमय वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी से किया था वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी ने स्वयं की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त के ख0नं0 438, 173, 174 वाके ग्राम भीखावास में से अपना 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 को दिया था एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके कब्जेकाश्त खातेदारी का 1/6 भाग ख0न0 74, 75, 206, 207, 208 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को अपना हिस्सा दिया था एवं खसरा नंबर 75 में से एक बिस्वा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से लिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादी ने ख0न0 439 में से अपना 1/10 हिस्सा यानी एक बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विनिमय दिया था। दोनो विनिमय पत्र के इन्तकाल संख्या 188 व 189 दिनांक 20.07.2000 को वादी व तरतीबी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विनिमय पत्रों के आधार पर दर्ज व मंजूर हो गये परंतु खसरा नंबर 75 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अभी भी चल रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने सालिम हिस्से का विनिमय वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को कर लिया है परंतु जमाबन्दी में नाम अभी भी दर्ज है जिससे जमाबन्दी में हिस्से भी गलत हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ने ख0न0 75 में से जो एक बिस्वा वादी को ख0न0 439 के तबादले में दिया था उक्त का अमल वादी के नाम नहीं आया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को किया है। बैयनामा में अनेक खसरा नंबर है परंतु दीगर ख0न0 के साथ–साथ वो ख0न0 भी जो कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को विनिमय पत्र से दिये थे, ख0न0 74, 75, 206, 207, 208 में से प्रतिवादी संख्या 1 अपना हिस्सा जरिये विनिमय पत्र वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को पहले ही दे दिये थे वक्त बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी खसरा नंबर 75 में कोई हक हकूक नहीं थे ना तो प्रतिवादी संख्या 1 को इस खसरा नंबर का बेचान करने का अधिकार था परंतु गैर कानूनी तौर से प्रतिवादी संख्या 1 ने अनाधिकार में बैयनामा करा दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 चालाक चतुर आदमी थे व दीगर खसरा नंबर के साथ वादी को विनिमय के जरिये प्राप्त ख0न0 भी बैयनामा दिनांक 25.11.2000 में लिखा लिया है क्योंकि वक्त बैयनामा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं थे। जमाबंदी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही चल रही थी जबकि वादी ने विनिमय पत्र पहले ही करा लिया था व इन्तकाल भी पहले ही दर्ज हो गया था। बाद में बैयनामा हुआ और बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में इन्तकाल संख्या 196 दर्ज हो गया जिससे भविष्य में विवाद व मुकदमे का अंदेशा बना रहेगा। वादी के पक्ष में दो विनिमय पत्र दिनांक 15.07.2000 को प्रतिवादी संख्या 1 ने करा दिये एवं इनके आधार पर इन्तकाल संख्या 188 व 189 दिनांक 20.07.2000 को दर्ज व मंजूर हुये है। इसके बाद बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में वादी ने कराया है जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 196 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दर्ज हुआ है जबकि विनिमय पत्र के जरिये खसरा नंबर 75 में सालिम हिस्सा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

वादी को दे दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे एवं दिनांक 25.11.2000 एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 196 ख0न0 75 में वादी के हक हकूक तक बातिल व बेअसर करार दिये जाने, विवादित आराजीयात में अन्य सहखातेदारान भी है जिनके हिस्से से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है इसलिए उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल ख0न0 75 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर में मिनवादी को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को ख0न0 75 के बाबत वादी के हिस्से तक **NULL and Void** करार दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को डिकी हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे आराजी मुतनाजा को कहीं रहन, बैय इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही मिनवादी के काश्तकार्य में मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 एवं 6 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 बाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 ल0 2/4, 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर बार–बार अवसर अंतिम अवसर दिये जाने उपरांत जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में एवं ना ही वकील प्रतिवादी व स्वयं पक्षकार प्रतिवादी उपस्थित नहीं आने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । मुताबिक प्रस्तुत इकबाल जवाब दावा के वादी के बाद के जिमनों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया गया है कि वादी का दावा डिकी कर दिया जावे कोई ऐतराज नहीं हैं। वादी ने दावा सही पेश किया है जो काबिल डिकी किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल संख्या 188 प्रदर्श–2, नकल इन्तकाल संख्या 189 प्रदर्श–3, नकल इन्तकाल संख्या 196 प्रदर्श–4, नकल बैयनामा दिनांक 15.07.2000 प्रदर्श–5, नकल विनिमय सहमति पत्र प्रदर्श–6, नकल बैयनामा दिनांक 25.11.2000 प्रदर्श–7, नकल विनिमय पत्र दिनांक 15.07.2000 प्रदर्श–8, नकल विनिमय पत्र सहमति प्रदर्श–9 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र महेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू.–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वादपत्र के जिमनो को दोहराते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यानी प्रदर्श–1 ल0 प्रदर्श–9 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र पी.डब्ल्यू.–1 का विवेचन करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

को किया है। बैयनामा में अनेक खसरा नंबर है परंतु दीगर ख0न0 के साथ–साथ वो ख0न0 भी जो कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को विनिमय पत्र से दिये थे, ख0न0 74, 75, 206, 207, 208 में से प्रतिवादी संख्या 1 अपना हिस्सा जरिये विनिमय पत्र वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को पहले ही दे दिये थे वक्त बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी खसरा नंबर 75 में कोई हक हकूक नहीं थे ना तो प्रतिवादी संख्या 1 को इस खसरा नंबर का बेचान करने का अधिकार था परंतु गैर कानूनी तौर से प्रतिवादी संख्या 1 ने अनाधिकार में बैयनामा करा दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 चालाक चतुर आदमी थे व दीगर खसरा नंबर के साथ वादी को विनिमय के जरिये प्राप्त ख0न0 भी बैयनामा दिनांक 25.11.2000 में लिखा लिया है क्योंकि वक्त बैयनामा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं थे। जमाबंदी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही चल रही थी जबकि वादी ने विनिमय पत्र पहले ही करा लिया था व इन्तकाल भी पहले ही दर्ज हो गया था। बाद में बैयनामा हुआ और बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में इन्तकाल संख्या 196 दर्ज हो गया जिससे भविष्य में विवाद व मुकदमे का अंदेशा बना रहेगा। वादी के पक्ष में दो विनिमय पत्र दिनांक 15.07.2000 को प्रतिवादी संख्या 1 ने करा दिये एवं इनके आधार पर इन्तकाल संख्या 188 व 189 दिनांक 20.07.2000 को दर्ज व मंजूर हुये है। इसके बाद बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में वादी ने कराया है जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 196 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दर्ज हुआ है जबकि विनिमय पत्र के जरिये खसरा नंबर 75 में सालिम हिस्सा वादी को दे दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे एवं दिनांक 25.11.2000 एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 196 ख0न0 75 में वादी के हक हकूक तक बातिल व बेअसर करार दिये जाने, विवादित आराजीयात में अन्य सहखातेदारान भी है जिनके हिस्से से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है इसलिए उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है अभिकथन करते हुये वादी का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

वकील वादी कि ध्यानपूर्वक एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 75 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम भीखावास तह0 मुण्डावर के 1/6 भाग के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त 1/6 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजी के 1/6 भाग की हद तक प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

कराये गये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को उक्तानुसार वादी के हिस्से तक NULL and Void करार दिया जाता है तथा उक्तानुसार विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कुल कार्य काश्त कार्य में किसी भी प्रकार कि मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
69 / 2015	28.05.2015	06.03.2020

उनवान

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी भीखावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: वादी

बनाम

1. सूरजभान पुत्र लखमी (मृतक)
   1/1 सुरेश पुत्र सूरजभान
   1/2 सीताराम पुत्र सूरजभान जातियान अहीर निवासीयान झरझिला तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर, राज0
   1/3 सुनिता पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी दोलतपुरा तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर, राज0
2. सत्यपाल (मृतक)
   2/1 कृष्ण कुमार पुत्र
   2/2 मुनेश देवी पत्नी
   2/3 पवित्रा
   2/4 रोशनी पुत्रियान सत्यपाल
3. मोहरसिंह पुत्रान बहराम जातियान अहीर निवासीयान भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. उपपंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल प्रतिवादीगण

6. सुमेर पुत्र खेमचन्द जाति अहीर निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: तरतीबी प्रतिवादी

दावा:– इशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुउपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.03.2020** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है कि** :–

अतः वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 75 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम भीखावास तह0 मुण्डावर के 1/6 भाग के बाबत के वादी के वाद को डिकी किया जाता है एवं उक्त 1/6 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजी के 1/6 भाग की हद तक प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कराये गये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.11.2000 को उक्तानुसार वादी के हिस्से तक NULL and Void करार दिया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

तथा उक्तानुसार विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कुल कार्य काश्त कार्य में किसी भी प्रकार कि मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)